न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 71/21 निर्णय दिनांक:05-12-23
(जीसीएमएस संख्या 2021/20)

1. मु. गामा पत्नी आलमखॉ पुत्र फतेहखॉ
2. सुल्तान खॉ
3. दिल्लूखॉ
4. मु. नूरा
5. मु. बतुला
6. सांवरदीन
7. मुस्ताक खॉ

समस्त पिसरान आलमखॉ जाति मुसलमान निवासी मोतीगढ़ तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 17—08—1984
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी , अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 17—08—1984 जिसके द्वारा अपीलांट्सके पति/पिता को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पति/पिता को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 1 केएम के मुरब्बा नम्बर 37/46 के किला नम्बर 12, 13, 16, 17, 19, 20, 24 व 25 में कुल 08 बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। अपीलांट्स के पति/पिता का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। कालान्तर में दिनांक अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा बकाया किश्तें खजानाराज में जमा करवाये जाने के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17–08–1984 को अपीलांट्स के पति/पिता के आवंटन को पुनः बहाल कर दिया गया। परन्तु उक्त बहाली से पूर्व ही वादग्रस्त भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को होने से अपीलांट्स के पति/पिता को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट्स के पति/पिता का कोई दोष नहीं है। अपीलांट्स एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट्स आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट्स के पति/पिता को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट्स के पति/पिता के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा ना तो आवंटन को निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट्स की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट्स को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बारम्बार उपस्थित होकर वादगत् भूमि पर कब्जा दिये जाने का कथन किया जाता रहा है। अपीलांट को आज दिनांक तक वादगत् भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17—08—1984 के विरूद्व अपील दिनांक 17—03—2021 को प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट्स के पति/पिता को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांट्स के पति/पिता को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट्स को नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 17—08—1984 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 17—03—2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 1 केएम के मुरब्बा नम्बर 37/46 के किला नम्बर 12, 13, 16, 17, 19, 20, 24 व 25 में कुल 08 बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। कालान्तर में अपीलांट्स के पति/पिता के आवंटन को किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया, परन्तु अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा बकाया राशि खजानाराज में जमा करवाये जाने के फलस्वरूप उक्त खारिजी आवंटन को पुनः बहाल कर दिया गया, परन्तु उक्त आवंटन को बहाल करने से पूर्व ही आराजी जैर अन्य व्यक्ति को आवंटित होने के कारण अपीलांट्स के पति/पिता को कब्जा नहीं मिला क्योंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटितशुदा भूमि थी।

प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपीलांट्स के पति/पिता को किया गया था, तथा कालान्तर में उक्त आवंटन को खारिज करने व पुनः बहाल किये जाने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता के आवंटन के खारिजी आवंटन के बाबत् किश्तें जमा करवाये जाने व उक्त आवंटन को पुनः बहाल करने से पूर्व इस तथ्य की जॉच नहीं की गई कि क्या वादग्रस्त भूमि उक्त अवधि के दरमियान किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित तो नहीं कर दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य की जॉच किये बिना ही अपीलांट्स के पति/पिता से बकाया राशि जमा करवाते हुए आवंटन को पुनः बहाल किया गया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के बाबत् किसी प्रकार की कोई किश्त बकाया नहीं रहने व कालान्तर में उक्त भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किये जाने के कारण आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्व रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा ना तो अपीलांट्स के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पति/पिता का आवंटन खारिज किया गया ना ही अपीलांट्स के पति/पिता के आवंटन का अमल दरामद किया गया। अततः अपीलांट्स को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।

अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांट को अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांट्स को नहीं दिया जा सकता। अपीलांट्स की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है, जो पूर्व में ही अन्य को आवंटित होने के कारण अपीलांट्स भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित् भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–08–1984 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स की आज दिनांक की पात्रती की जॉच करते हुए, नियमानुसार उसकी पात्रता के अनुसार भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 4/12/23 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर